

परियोजना का नाम :— जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड़-धरमधर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपचिया तक 4.00 किमी मोटर मार्ग निर्माण हेतु बनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण ।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्थीरकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।



भगीरथ सिंह
प्रयोक्ता एजेन्सी
सहायक नियंत्रक
कार्यालय
लखनऊ

हो/उत्तराखण्ड
लोक नियंत्रक
कार्यालय
लखनऊ
बागेश्वर
प्रयोक्ता एजेन्सी

नोट:- उक्त प्रमाण-पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।